Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बीरबल आदि बनाम भजनलाल आदि

किस्म मुकदमा 251क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्याः 172 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.24	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम से रोही ग्राम उदयपुर सादानी पटवार हल्का उदयपुर भू. अभि.नि.क्षेत्र बीरमाना तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 74/113 के खसरा नम्बर 242/76 में 7.590 हैक्टेयर रकबा दर्ज जमाबंदी है। जिसमें से 5.060 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 व 2.530 हैक्टेयर प्रार्थीया संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थीगण का संयुक्त खाते में रकबा वाके चक 1.825 आर.डी.एल. पटवार हल्का बिरधवाल स्टेशन भू.अभि.नि.क्षेत्र उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी 2074 ता 2077 के खाता संख्या 29/24 ओमप्रकाश आदि के नाम से पत्थर नम्बर 155/21 मु.न. 44 में 1.012 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 155/22 मु.न. 50 में 4.301 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 155/29 मु.न. 45 में 1.012 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 155/30 मु.न. 49 में 2.530 हैक्टेयर कुल 8.8550 हैक्टेयर में प्रार्थी बीरबल पुत्र हरीराम का हिस्सा 2213/8856 दर्ज हैं। प्रार्थीगण ने अपने संयुक्त खाते के खेत चक 1.825 आर.डी.एल. के पत्थर नम्बर 155/22 मु.न. 50 के किला नम्बर 9 में वर्षो से ट्युबवैल लगा रखा हैं व इस ट्युबवैल पर बिजली का कनेक्शन अपने नाम से करवा रखा हैं। प्रार्थी ने उक्त ट्युबवैल से पाईप लाईन के माध्यम से अपने खेत रोही उदयपुर सादानी के खसरा नम्बर 242/76 के 7.590 हैक्टेयर रकबा में वर्ष 2020 में ही पाईप लाईन डाल कर सिचांई कर रहा हैं। यह पाईप लाईन पत्थर नम्बर 155/22 के किला नम्बर 9 में बने ट्युबवैल से इसी पत्थर नम्बर के किला नम्बर 11, 12, 20, 21 से होती हुई रोही उदयपुर सादानी के रकबा के मालिक अप्रार्थी न. 1 भजनलाल के खेत खसरा नम्बर 243/75 मे से करीब 7 बीघा की दूरी मे पाईप डालकर अपने खातेदारी खेत उदयपुर सादानी के बारानी रकबा खसरा नम्बर 242/76 के रकबा में सिचांई कर रहा हैं। यह पाईप लाईन अच्छी किस्म की पाईप भूमि के अन्दर करीब 3 फिट गहरी व हवा आदि पास होने के लिए जानकार मिस्त्री से फिट करवाई गई हैं। पाईप लाईन लगाने के बाद आज तक अप्रार्थीगण की तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दिया हैं। आज तक किसी प्रकार से पानी की पाईप लाईन से कोई क्षति नहीं हुई हैं व यह पाईप लाईन प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमती से लगाई गई थी परन्तु अब अप्रार्थी पाईपलाईन में व्यधान पैदा कर रहा हैं तथा धमकी दे रहा हैं कि वह ज्यादा दिन पाईपलाईन नहीं चलने दुंगा। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी रकबा वाके चक 1.825 आर.डी.एल. के पत्थर नम्बर 155/22 मु.न. 50 के किला नम्बर 9 में लगे ट्युबवैल से अप्रार्थी के खेत रोही उदयपुर सादानी के खसरा नम्बर 243/75 में से प्रार्थीगण के खेत रोही उदयपुर सादानी के खसरा नम्बर 243/76 के 7.590 हैक्टेयर तक लगी हुई पाईपलाईन की स्वीकृति प्रदान की जाकर अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि भविष्य किसी प्रकार से न तो पाईप हटाये व न ही कोई नुकसान पहुंचाये। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(प्रकरण संख्या: 172 सन् 2022)

05.01.24 प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी न. 1 को तलब किया। अप्रार्थी न. 1 के हाजिर नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पाईपलाईन स्वीकृत करने तथा अप्रार्थी को पाबन्द करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बावजूद सूचना व तामील के अप्रार्थी न. 1 ने हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थीगण का कहना हैं कि पाईपलाईन चल रही हैं जो पूर्व में अप्रार्थी की सहमती से ही डाली गई थी। पाईपलाईन भूमि में 3 फिट की गहराई में डाली गई हैं। पाईपलाईन से अप्रार्थी को कोई नुकसान नहीं हो रहा हैं। इसलिए प्रार्थीगण का पाईपलाईन स्वीकृती बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के खेत चक 1.825 आर.डी.एल. के पत्थर नम्बर 155/22 मु.न. 50 के किला नम्बर 9 में लगे ट्युबवैल से अप्रार्थी के खेत रोही उदयपुर सादानी के खसरा नम्बर 243/75 से प्रार्थीगण के खेत रोही उदयपुर सादानी के खसरा नम्बर 242/76 की 7.590 हैक्टेयर भूमि तक प्रार्थीगण द्वारा लगाई हुई पाईपलाईन की स्वीकृती प्रदान की जाती हैं। अप्रार्थी संख्या 1 भजनलाल पुत्र परताराम जाति मेघवाल निवासी उदयपुर हाल निवासी बिरधवाल स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की रोही उदयपुर सादानी के खसरा नम्बर 243/75 की 7 बीघा लम्बाई में भूमि जिसमें से पाईपलाईन डाली हुई हैं का मुआवजा जो डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत अर्थात एक बिस्वा चौड़ाई मे 7 बीघा लम्बाई में कुल 7 बिस्वा भूमि यानि 0.08855 हैक्टेयर का निर्धारित डी.एल. सी. 90000/—रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 10 प्रतिशत राशि 797/—रूपये प्रार्थी से जमा करवाये जाकर अप्रार्थी भजनलाल पुत्र परताराम को प्रदान किया जावे। पाईपलाईन कहीं से भी पानी लीकेज न हो और अप्रार्थी न. 1 को इस पाईप लाईन से किसी प्रकार का नुकसान नही हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावे। अप्रार्थी न. 1 को पाबन्द किया जाता हैं कि इस पाईपलाईन में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे, पाईपलाईन को क्षतिग्रस्त नहीं करे व न ही पाईपलाईन को हटाये। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

106-107
05.01.2024

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)